झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ० एफ० पी० भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांकः– परि०आ०–241/2019........1725....../ राँची, दिनांकः–......17.07.2020

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड ।

विषयः–प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का प्रत्रांक–616, दिनांक–25.02.2020 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण हेतु आवेदन को जाँच प्रतिवेदन सहित Online PUC Portal के माध्यम से ही भेजने का निदेश दिया गया है। ऐसा पाया गया है कि कई जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक द्वारा अभी भी Offline के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं एवं जाँच प्रतिवेदन सहित Offline ही आवेदन अग्रसारित कर रहे हैं जो अत्यंत खेदजनक है तथा सरकारी आदेश का अवहेलना है।

परिवहन विभाग को कई सूत्रों से यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्य में स्थापित कई प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अभी भी बिना वाहन जाँच के Offline निर्गत किया जा रहा है जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति भी हो रही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ रखते हुए आप सभी के द्वारा निम्न निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

1. जिला परिवहन कार्यालय अथवा मोटरयान निरीक्षक कार्यालय में प्रदूषण जाँच केन्द्र से संबंधित स्थापना/नवीकरण/अन्य आवेदन तत्काल प्रभाव से किसी भी परिस्थिति में Offline स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रदूषण जाँच से संबंधित सभी आवेदन Online PUC Portal के माध्यम से ही स्वीकार्य किये जायें।

   आपके कार्यालय में पूर्व से प्राप्त सभी Offline आवेदनों का निष्पादन करते हुए अनुशंसा सहित जाँच प्रतिवेदन परिवहन विभाग को दिनांक–25.07.2020 तक अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। दिनांक–25.07.2020 के पश्चात आपके स्तर से प्राप्त होने वाले प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु Offline आवेदन के लिये संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक जिम्मवार होंगे तथा इसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने जिला अंतर्गत सभी अधिकृत प्रदूषण जाँच केन्द्र के द्वारा केवल Online PUC Portal के माध्यम से ही वाहनों का जाँच कर प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे तथा प्रत्येक माह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार को जमा की गयी राजस्व की प्रत्येक माह समीक्षा करेंगे।

भविष्य में यदि विभाग को यह सूचना मिलती है कि किसी प्रदूषण जाँच केन्द्र के द्वारा Offline प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तो संबंधित जिला परिवहन पदाधिकरी एवं मोटरयान निरीक्षक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3. प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण एवं अन्य कोई आवेदन निश्चित समय सीमा में निष्पादन किया जाना आवश्यक है ताकि जन मानस को कोई असुविधा न हो तथा विभाग के प्रति आम नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हो। इस हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्र से संबंधित आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	आवेदन का प्रकार	पदाधकारी/अधिकारी	समय सीमा
01	प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु Online आवेदन का जाँच प्रतिवेदन सहित अग्रसारण	DTO/MVI	15 कार्य दिवस
02	नवीकरण हेतु Online आवेदन का जाँच प्रतिवेदन सहित अग्रसारण	DTO/MVI	07 कार्य दिवस
03	प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थल परिवर्तन/अधिष्ठापित मशीन में परिवर्तन/अन्य आवेदन	DTO/MVI	07 कार्य दिवस
04	प्रदूषण जाँच केन्द्र के Onboarding/Calibration & AMC प्रमाण पत्रों का अनुमोदन	MVI	02 कार्य दिवस

4. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक के द्वारा अपने जिला अंतर्गत कार्यरत प्रदूषण जाँच केन्द्रों का नियमित औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिकृत केन्द्रों द्वारा निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन करया जा सके।

आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-परि०आ०-241/2019...1725.../ राँची, दिनांक:-...17.07.2020

प्रतिलिपि-श्री मनोज कुमार, अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-परि०आ०-241/2019...1725.../ राँची, दिनांक:-...17.07.2020

प्रतिलिपि-PMU, परिवहन विभाग, राँची को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची